लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 08/ 2022
GCMS NO. : 2022/30

प्रार्थी /अपीलार्थी :–

श्री डायालाल मेवाडा पिता श्री धुलजी मेवाडा, हाल निवासी ई–24, सत्यम नगर, शे हाउस, एन.आर, जनता नगर, शाहवाडी, नॉरोल, अहमदाबाद (गुजरात)।

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

लोक सूचना अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)घाटोल

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 20–05–2022

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) घाटोल से सूचना चाहने हेतु आवेदन दिनांक 25.02.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 29.04.2022 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) घाटोल ने अपने पत्र क्रमांक आर.टी.आई/2022/484 दिनांक 10.05.2022 से जवाब प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रुप से यह अंकित नही किया है कि प्रार्थी द्वारा किस दस्तावेज की प्रति अथवा सूचना चाही गई है एवं सूचना प्रश्नोत्तर के रुप में है। प्रार्थी को जरिये उक्त पत्र से अवगत कराया कि किसी दस्तावेज, आदेश, अथवा किसी पत्र, प्रपत्र की सूचना चाहे जाने पर प्रार्थी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।

दिनांक 20.05.2022 को अपीलांट ने उनके पत्रांक [illegible] 2022 से अवगत कराया है कि सूचना अथवा जानकारी अब तक प्राप्त नही हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 09:58:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 13.05.2022 तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) घाटोल द्वारा प्रस्तुत पत्रांक आर.टी.आई/2022/484 दिनांक 10.05.2022 से प्रस्तुत जवाब तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा 2 बिन्दुओं पर चाही सूचना में यह स्पष्ट नही है कि किस दस्तावेज की प्रति अथवा सूचना चाही गई है। उपखण्ड अधिकारी घाटोल (लोक सूचना अधिकारी) द्वारा उनके पत्रांक 565 दिनांक 04.04.2022 से सूचना के सन्दर्भ में प्रार्थी को अवगत कराते हुए जरिये साधारण डाक अपीलार्थी के वर्तमान पते पर पत्र प्रेषित किया है।

चूंकि दिनांक 20.05.2022 को अपीलांट ने उनके पत्रांक दिनांक 13.05.2022 से अवगत कराया है कि सूचना अथवा जानकारी अब तक प्राप्त नही हुई है। उपखण्ड अधिकारी घाटोल (लोक सूचना अधिकारी) को आदेशित किया जाता है कि वह सूचना के सन्दर्भ में अपीलांट को तत्काल जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचित कर इस न्यायालय को अवगत करावे। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही रहने से अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा) I.A.S.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 09:58:39 IST
Reason: SelfAttested